राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 24/2023

किशन सिंह पुत्र कल्याण सिंह, उम्र लगभग 63 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम इंद्रपुरा, वार्ड संख्या 1, तहसील चूरू (राजस्थान)

----अपीलार्थी

बनाम

1. ताराचंद पुत्र श्री मोटाराम, उम्र लगभग 55 वर्ष, जाति जाट, निवासी वार्ड संख्या 9 ग्राम इंद्रपुरा, तहसील चूरू(राजस्थान)
2. जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) डाकघर, चूरू राजस्थान।

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री नितिन त्रिवेदी
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री जे.एल. पुरोहित, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री राजीव पुरोहित, श्री सौरभ कांत व्यास

माननीय न्यायमूर्ति रेखा बोराना

आदेश

रिपोर्टेबल

09/05/2023

1. वर्तमान पुनरीक्षण याचिका सिविल मूल संख्या 02/2020 में वरिष्ठ सिविल न्यायमूर्ति , चूरू द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2023 के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश VII नियम 11 के तहत एक प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय के पास राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (इसके बाद '1994 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 43 के संदर्भ में चुनाव याचिका पर विचार/सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र था।

2. मामले के तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ताराचंद ने जिला न्यायाधीश, चूरू के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर की, जिसमें अपीलार्थी किशन सिंह के ग्राम पंचायत इंद्रपुरा, तहसील और जिला चूरू के सरपंच के रूप में चुनाव को चुनौती दी गई। चुनाव याचिका पंजीकृत होने के बाद उसे वरिष्ठ सिविल न्यायमूर्ति, चूरू की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। उक्त याचिका में, आदेश VII नियम 11, सीपीसी के तहत एक आवेदन प्रत्यर्थी किशन सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि 1994 के अधिनियम की धारा 43 के संदर्भ में, न्यायालय के पास में चुनाव याचिका सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि वरिष्ठ सिविल न्यायमूर्ति वह प्राधिकारी नहीं है जिसे 1994 के अधिनियम की धारा 43 के अनुसार याचिका हस्तांतरित की जा सकती थी। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन को न्यायालय ने इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया कि उक्त न्यायालय के पास भी एक सिविल न्यायमूर्ति शक्तियां थीं और इसलिए, उसके पास चुनाव याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र था। उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गयी है।

3. वर्तमान पुनरीक्षण याचिका की विचारणीयता के संबंध में प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इस आधार पर एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि आक्षेपित आदेश "पर्सोना डिज़ाइनटा" के रूप में कार्य करने वाले एक प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है और इसलिए, सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित नहीं है और इसलिए, सीपीसी की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चुनाव याचिका में एक व्यक्ति पद के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए, एकमात्र उपाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सर्टिओरारी का रिट होगा। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा ***एकलपीठ सिविल रिट याचिका क्रमांक 14776/2016; बबीता बनाम निहालदेई एवं अन्य (दिनांक 06.12.2016 को निर्णय) एवं एकलपीठ सिविल पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 145/2015; ममता बनाम संतोष एवं अन्य (01.03.2016 को निर्णय लिया गया)*** पारित निर्णयों पर भरोसा किया।

4. प्रारंभिक आपत्ति के उत्तर में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सबसे **पहले,** आक्षेपित आदेश नामोदिष्ट व्यक्ति के रूप में कार्य करने वाले किसी अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था, क्योंकि वरिष्ठ सिविल न्यायमूर्ति 1994 के अधिनियम की धारा 43 के तहत अधिकृत अधिकारी नहीं है। **दूसरे,** बल्कि यह अपीलार्थी का आधार है कि वर्तमान याचिका को वरिष्ठ सिविल न्यायमूर्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था क्योंकि वरिष्ठ सिविल न्यायमूर्ति 1994 के अधिनियम की धारा 43 के संदर्भ में सशक्त प्राधिकारी नहीं थे। इसलिए, एक बार यह पुष्टि हो जाती है कि वरिष्ठ सिविल न्यायमूर्ति ने एक नामोदिष्ट व्यक्ति के रूप में कार्य करते हुए आदेश पारित नहीं किया है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाया गया आधार अन्यथा भी जीवित नहीं रहेगा।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई वर्तमान याचिका में आधार यह है कि 1994 के अधिनियम की धारा 43 के संदर्भ में, तीन प्राधिकारी नामित हैं जिनके पास चुनाव याचिका सुनने की शक्ति है। उक्त प्राधिकारी जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायमूर्ति और अपर सिविल न्यायमूर्ति (सीनियर डिवीजन) हैं। माना जाता है कि वर्तमान मामले में, याचिका वरिष्ठ सिविल न्यायमूर्ति को स्थानांतरित कर दी गई थी, जो 1994 के अधिनियम की धारा 43 के तहत अधिकृत प्राधिकारी नहीं है और इसलिए, अदालत के पास चुनाव याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है। अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने ***वास्तुकला परिषद बनाम मुकेश गोयल और अन्य; एआईआर 2020 एससी 1736 और केशव देव बनाम राधे श्याम; 1964 आरएलडब्ल्यू 1*** में पारित निर्णयों पर भरोसा किया। विद्वान अधिवक्ता ने ***राम सिंह बनाम कन्या बाई (एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या.9642/2021)*** पर निर्णय 06.05.2022 को हुआ, के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के हालिया निर्णय पर भी भरोसा किया।

6. उक्त दलील के उत्तर में, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (संक्षेप में '2010 के नियम') के संदर्भ में, वरिष्ठ सिविल न्यायमूर्ति के साथ-साथ अपर सिविल न्यायमूर्ति (सीनियर डिवीजन) वरिष्ठ सिविल न्यायमूर्ति के कैडर में आते हैं और

इसलिए, दोनों को समान अधिकार और समान क्षेत्राधिकार प्राप्त है। विद्वान अधिवक्ता ने दलील प्रस्तुत की कि चूंकि वरिष्ठ सिविल न्यायमूर्ति 2010 के नियमों के तहत परिभाषित एक कैडर है, उक्त नियमों के आधार पर, वरिष्ठ सिविल न्यायमूर्ति के पास भी अपर सिविल न्यायमूर्ति (सीनियर डिवीजन) के समान क्षेत्राधिकार होगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि **बबीता** (सुप्रा.) और **ममता** (सुप्रा.) के मामले में भी, आदेश वरिष्ठ सिविल न्यायमूर्ति द्वारा पारित किए गए थे और दोनों याचिकाओं पर न्यायालय/प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर कोई आपत्ति किए बिना विचार किया गया है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

8. 1994 के अधिनियम की धारा 43 इस प्रकार है:

> "**43. चुनाव के संबंध में विवाद का निर्धारण-** (1) इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी चुनाव पर किसी भी उम्मीदवार द्वारा अधिकार क्षेत्र वाले जिला न्यायाधीश को निर्धारित तरीके से एक याचिका प्रस्तुत करके प्रश्न उठाया जा सकता है। इस संबंध में निर्धारित आधार पर और निर्धारित अवधि के भीतर:
>
> **परंतु यह कि उपर्युक्त रूप में प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, जिला न्यायाधीश द्वारा अपने अधीनस्थ सिविल न्यायमूर्ति या अपर सिविल न्यायमूर्ति (सीनियर डिवीजन) को सुनवाई और निपटान के लिए स्थानांतरित की जा सकती है।**
>
> (2) उप-धारा के तहत प्रस्तुत एक याचिका (1) निर्धारित तरीके से सुनवाई और निपटारा किया जाएगा और उस पर न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होगा।"
>
> (बल दिया गया)

9. **केशव देव के मामले** (सुप्रा.) में इसी तरह के मुद्दे से निपटते समय, इस न्यायालय की खण्डपीठ ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

"हमने इन तर्कों पर उचित विचार किया है और ऊपर दिए गए प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए पहले यह तय करना आवश्यक होगा कि **"चुनाव याचिका की सुनवाई करने वाला मुंसिफ या सिविल न्यायमूर्ति एक नामोदिष्ट व्यक्ति पद के रूप में कार्य करता है या एक सिविल कोर्ट के रूप में"।** यह बताया जा सकता है कि नियम 83 में कोई संदेह नहीं है कि मुकदमों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, (1908 का केंद्रीय अधिनियम V) में प्रदान की गई प्रक्रिया, जहां तक इसे लागू किया जा सकता है, होगी। याचिका की सुनवाई में इसका पालन किया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिविल प्रक्रिया संहिता अपील के संबंध में चुनाव याचिकाओं पर भी लागू होगी। हमारी राय में, इस नियम का सीधा अर्थ केवल यह दर्शाता है कि मुंसिफ या सिविल न्यायमूर्ति जब चुनाव याचिका की सुनवाई में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उसी तरह पालन किया जाना चाहिए जैसे कि मुकदमों के संबंध में प्रक्रिया का पालन किया जाता है लेकिन इस प्रक्रिया का पालन केवल वहीं तक किया जाना चाहिए जहां तक इसे लागू किया जा सके और वह भी केवल याचिका की सुनवाई के संबंध में। इस नियम में यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि मुंसिफ, चुनाव याचिका की सुनवाई के समय, जिला न्यायाधीश के अधीनस्थ नागरिक क्षेत्राधिकार की एक सामान्य अदालत के रूप में कार्य करता है या अपील निश्चित रूप से जिला न्यायाधीश के पास होगी। इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है कि अपील क़ानून का एक सृजन है और जब तक ऐसा अधिकार कानून द्वारा विशेष रूप से प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। चुनाव याचिका की सुनवाई करते समय मुंसिफ के पास अदालत की सभी सुविधाएं हो सकती हैं लेकिन उसे एक सामान्य सिविल अदालत के रूप में कार्य करने वाला नहीं माना जा सकता है। हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि नियम 84 और 85 के शीर्षक में "न्यायालय" शब्द का प्रयोग किया गया है और

यह इंगित करता है कि चुनाव न्यायाधिकरण एक सिविल न्यायालय है। यह तर्क भी तर्कसंगत नहीं है क्योंकि शीर्षक में प्रयुक्त शब्द "न्यायालय" का अर्थ केवल यह दिखाना है कि चुनाव याचिका की सुनवाई करते समय मुंसिफ या सिविल न्यायमूर्ति न्यायिक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हैं और केवल इसी अर्थ में यह शब्द प्रतीत होता है प्रयोग किया जा चुका है। यह ध्यान रखना उचित है कि आर. 85 में यह प्रावधान है कि किसी याचिका की सुनवाई करने वाले मुंसिफ या सिविल न्यायमूर्ति, जैसा भी मामला हो, के पास मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल कोर्ट के न्यायाधीश के समान शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे। इससे किसी भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि मुंसिफ या सिविल न्यायमूर्ति को सिविल कोर्ट के समान नहीं बनाया गया है, अन्यथा यह प्रावधान करना आवश्यक होता कि उनके पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ और विशेषाधिकार होते। केशरी प्रसाद बनाम बोधराज में (1) प्रश्न उठा कि क्या एक जिला न्यायाधीश एक चुनाव याचिका की सुनवाई उ.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 22(1) के सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अर्थ के अन्तर्गत सिविल न्यायालय था। मसून अली खान बनाम अली अहमद खान (2), केशव रामचन्द्र बनाम म्यूनिसिपल बरो, जलगांव और अन्य (3) और शोलापुर नगर पालिका बनाम तुलजाराम कृष्णसा चावेन के मामले पर भरोसा करते हुए इसे अभिनिर्धारित किया गया। (4) **चुनाव याचिका की सुनवाई करने वाला जिला न्यायाधीश एक सिविल अदालत नहीं बल्कि एक नामोदिष्ट व्यक्ति था और वह सी.पी.सी. 115 की धारा के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अध्यधीन नहीं था।** ए. नरसिम्हा अयंगर बनाम के. रामय्या चेट्टियर (5) में मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है। केदार नाथ बनाम एस.एन. मिश्रा (6) की पूर्ण पीठ द्वारा यह माना गया कि उप-विभागीय अधिकारी यू.पी. पंचायत राज अधिनियम के तहत एक चुनाव याचिका की सुनवाई कर

रहे हैं। एक विशेष न्यायाधिकरण था और इसलिए एक नामोदिष्ट व्यक्ति था। उक्त मामलों में दिए गए तर्कों को दोहराना हमारे लिए अनावश्यक होगा। यह कहना पर्याप्त होगा कि हम सम्मानपूर्वक सहमत हैं और उस दृष्टिकोण से हटने का कोई कारण नहीं देखते हैं जो इस न्यायालय ने केशरी प्रसाद के मामले (सुप्रा.) में पहले ही ले लिया है। **चूँकि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि नियम 78 के तहत चुनाव याचिका की सुनवाई करने वाला मुंसिफ या सिविल न्यायमूर्ति एक नामोदिष्ट व्यक्ति है, इसलिए यह आवश्यक परिणाम है कि जिला न्यायाधीश के पास चुनाव याचिका को एक मुंसिफ एक मुंसिफ से दूसरे सिविल न्यायमूर्ति तक से दूसरे मुंसिफ में स्थानांतरित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।**"

(बल दिया गया)

खण्डपीठ द्वारा अभिनिर्धारित अनुपात स्पष्ट है, सबसे ***पहले***, एक चुनाव याचिका की सुनवाई करने वाला जिला न्यायाधीश एक सिविल कोर्ट नहीं है, बल्कि एक नामोदिष्ट व्यक्ति है और सी.पी.सी. की धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अध्यधीन नहीं है और ***दूसरी*** बात, जिला न्यायाधीश के पास चुनाव याचिका को एक मुंसिफ से दूसरे मुंसिफ या एक मुंसिफ से दूसरे सिविल न्यायमूर्ति को स्थानांतरित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

10. ***राम सिंह*** (सुप्रा.) के मामले में, जिसमें मुद्दा यह था कि क्या जिला न्यायाधीश ने चुनाव याचिका को अपर जिला न्यायाधीश, इस न्यायालय की समन्वय पीठ को स्थानांतरित करने में सही था, जबकि ***बबीता*** (सुप्रा.) सहित इस मुद्दे पर पहले के निर्णयों पर भरोसा किया था, ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया।

"इस प्रकार, उपरोक्त निर्णयों की पृष्ठभूमि में वैधानिक प्रावधानों की रूपरेखा से, एक असाधारण स्थिति जो उभरती है वह यह है कि 1994 के अधिनियम के तहत **एक चुनाव याचिका या तो जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायमूर्ति द्वारा सुनी जा सकती है या अपर सिविल न्यायमूर्ति (सीनियर डिवीजन) केवल उनके अधीनस्थ हैं और अपर जिला न्यायाधीश सहित किसी अन्य न्यायालय द्वारा नहीं।**"

(बल दिया गया)

उपरोक्त निर्णयों से स्पष्ट शब्दों में जो कहा जा सकता है वह यह है कि जिला न्यायाधीश या तो स्वयं एक चुनाव याचिका सुन सकता है या इसे 1994 के अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रदान किए गए दो प्राधिकारियों में से एक को स्थानांतरित कर सकता है। प्रावधानों की स्पष्ट भाषा से यह व्याख्या की जा सकती है, कि 1994 के अधिनियम की धारा 43 के संदर्भ में प्राधिकारी एक न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है बल्कि एक *नामोदिष्ट व्यक्ति* अर्थात चुनाव न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है। इसलिए, भले ही कोई वरिष्ठ सिविल न्यायमूर्ति उक्त कैडर में आता हो, उसे 1994 के अधिनियम की धारा 43 के तहत अधिकृत अपर सिविल न्यायमूर्ति (सीनियर डिवीजन) के बराबर नहीं किया जा सकता है। **मिश्रीलाल बनाम राज्य एवं अन्य; एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 13750/2015 (15.12.2015 को निर्णय लिया गया),** में विधायिका की मंशा स्पष्ट किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि विधायिका ने उस अदालत को निर्दिष्ट किया है जिसमें चुनाव याचिका को स्थानांतरित किया जा सकता है, चुनाव याचिका को किसी अन्य को स्थानांतरित करना पूर्व मान लिया गया है जो न्यायालय विधायिका द्वारा अभिप्रेत नहीं है। आगे यह माना गया है कि प्रावधानों को लागू करने में विधायिका का इरादा 'चुनाव न्यायाधिकरण' बनाना था, न कि 'सिविल कोर्ट'। न्यायाधीश को सिविल न्यायालय के समान नहीं बनाया जाता है, अन्यथा उसके पास सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ और विशेषाधिकार होते।

11. यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि यदि किसी प्राधिकारी द्वारा किसी निश्चित तरीके से शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक हो तो उसे उक्त तरीके से ही प्रयोग किया जाना चाहिए। 1994 के अधिनियम की धारा 43 स्पष्ट रूप से प्रावधान में उल्लिखित दो प्राधिकारियों में से केवल एक को चुनाव याचिका के हस्तांतरण का प्रावधान करती है और माना जाता है कि वरिष्ठ सिविल न्यायमूर्ति उक्त प्राधिकारी नहीं है। इसलिए, इस न्यायालय की विशिष्ट राय में, जहां तक चुनाव याचिका पर विचार करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का संबंध है, आक्षेपित आदेश को कानून के अनुरूप नहीं माना जा सकता है।

12. जहां तक वर्तमान पुनरीक्षण याचिका की विचारणीयता का प्रश्न है, एक बार जब

यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि वरिष्ठ सिविल न्यायमूर्ति 1994 के अधिनियम की धारा 43 की परिधि के अंतर्गत आने के लिए नामित व्यक्ति नहीं है, यह आधार कि नामोदिष्ट व्यक्ति के रूप में कार्य करने वाले प्राधिकारी द्वारा पारित किया जा रहा आदेश सीपीसी की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अध्यधीन नहीं है, को वास्तव में तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है।

13. उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका की **अनुमति** दी जाती है। सिविल मूल संख्या 02/2020 में वरिष्ठ सिविल न्यायमूर्ति, चूरू द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2023 को रद्द कर दिया गया है। मामला 1994 के अधिनियम की धारा 43 के संदर्भ में नए आदेश पारित करने के लिए विद्वान जिला न्यायाधीश, चूरू को भेजा जाता है। दोनों पक्ष 23.05.2023 को विद्वान जिला न्यायाधीश, चूरू के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और न्यायालय दोनों पक्षों की मौजूदगी में उचित आदेश पारित कर सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्वान जिला न्यायाधीश पार्टियों को नए नोटिस जारी करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

14. स्थगन याचिका और लंबित आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है।

(रेखा बोराना), न्यायमूर्ति

72-VIJ/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।